रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 2013/भाद्र 1, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 106
No. 133] DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2013/BHADRA 1, 1935 [N.C.T.D. No. 106

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 23 अगस्त, 2013

फा. सं. 3(40)/2013/खा. एवं आपू./पी एंड सी/1234-1245.—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा जनशिकायत आयोग को उक्त अध्यादेश की धारा 16 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए राज्य खाद्य आयोग के रूप में पदनामित करते हैं ।

DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS

NOIFICATIONS

Delhi, the 23rd August, 2013

F.No.3(40)/2013/F&S/P&C/1234-1245.—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the National Food Security Ordinance, 2013, the Lt. Governor of NCT of Delhi hereby designates Public Grievance Commission as State Food Commission for the NCT of Delhi under Section 16 of the said Ordinance.

फा. सं. 3(40)/2013/खा. एवं आपू./पी एंड सी/1246-1259.—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जिला जनशिकायत निवारण अधिकारी के रूप में पदनामित करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. एस. यादव, आयुक्त एवं सचिव

F. No. 3(40)/2013/F&S/P&C/1246-1259.—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the National Food Security Ordinance, 2013, the Lt. Governor of NCT of Delhi hereby designates Additional District Magistrate of the district as District Grievance Redressal Officer in NCT of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

S. S. YADAV, Commissioner-cum-Secy.

विधि, न्याय एवं विधायी मामले विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 अगस्त, 2013

फा. सं. 5(10)/वाद/10/उपसचिव/1311-1322.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ परामर्श के पश्चात् निम्नलिखित अधिवक्ताओं को दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय में किसी भी अभियोजन, अपील अथवा कार्यवाहियों के संचालन के लिए अगले आदेशों तक अतिरिक्त लोक अभियोजकों के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिवक्ता का नाम
1.	फिरोज खान गाजी
2.	कुसुम ढल्ला
3.	एम. पी. सिंह
4.	ओ. पी. सक्सेना
5.	ईशा खन्ना
6.	महिपाल मालिक
7.	निशि जैन
8.	विनोद दिवाकर
9.	अमित अहलावत
10.	योगेश वर्मा
11.	नरेंदर कुमार चौधरी
12.	रवि नायक
13.	प्रमोद सक्सेना
14.	करन सिंह
15.	नीरज कुमार सिंह
16.	वरुण गोस्वामी
17.	परवीन भाटी
18.	सतीश कुमार वर्मा
19.	रजत कत्याल
20.	नवीन कुमार झा
21.	प्रणय किशोर मिश्रा
22.	आशा तिवारी
23.	लवकेश साहनी

2. ये नियुक्तियां समय-समय पर यथा निर्धारित शर्तों के अधीन होंगी ।

3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी तथा अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

तरुन सहरावत, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOIFICATION

Delhi, the 23rd August, 2013

No. F. 5(10)/Lit. (10)/Dy. Secy.law/1311-1322.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 24 of Criminal Procedure Code, 1973 (Central Act 2 of 1974), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, after consultation with the High Court of Delhi, is pleased to appoint the following advocates as Additional Public Prosecutors for conducting any prosecution, appeal or other proceedings in the High Court of Delhi till further orders :—

S.No.	Name of Advocate
1.	Feroz Khan Ghazi
2.	Kusum Dhalla
3.	M.P. Singh
4.	O.P.Saxena
5.	Isha Khanna
6.	Mahipal Malik
7.	Nishi Jain
8.	Vinod Diwakar
9.	Amit Ahlawat
10.	Yogesh Verma
11.	Narender Kumar Chaudhary
12.	Ravi Nayak
13.	Pramod Saxena
14.	Karan Singh
15.	Neeraj Kumar Singh
16.	Varun Goswami
17.	Parveen Bhati
18.	Satish Kumar Verma
19.	Rajat Katyal
20.	Navin Kumar Jha
21.	Pranay Kishore Mishra
22.	Asha Tiwari
23.	Lovkesh Sawhney

2. The appointments will be subject to such terms and conditions as may be prescribed from time to time.

3. This notification will come into force with immediate effect and shall remain in force till further orders.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy.

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 अगस्त, 2013

फा. सं. 5(54)/नीति-2/वैट/2012-13/670-682.— इस विभाग की अधिसूचना संख्या फा. 5(54)/नीति-2/वैट/संशोधन/2010/1790-1800 दिनांक 2-12-2010 के आंशिक संशोधन में, 'रिपब्लिक ऑफ गाम्बिया' की प्रविष्टि संख्या में अंकित क्रम संख्या (32ए) के स्थान पर (32सी) पढ़ा जाएगा ।

उपर्युक्त अधिसूचना की बाकी सामग्री उसी प्रकार रहेगी ।

प्रशांत गोयल, आयुक्त, (मूल्य संवर्धित कर)

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd August, 2013

No. F. 5(54)/P-II/VAT/2012-2013/670-682.—In partial modification of this department's Notification No. 5(54)/Policy-II/VAT/Amendment/2010/1790-1800 dated 2-12-2010, the Entry No. mentioned against 'Republic of Gambia' may be read as (32C) inserted of (32A).

Rest of the contents of the above said Notification shall remain the same.

PRASHANT GOYAL, Commissioner (Value Added Tax)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

सार्वजनिक सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 1.9.2013 से दिल्ली में लागू

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत नए राशन कार्ड बनाने का कार्य आरम्भ हो गया है । इसके लिए अपने राशन दफतर या जी.आर.सी. में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र से आवेदन करें ।

1. वर्तमान एएवाई / बीपीएल / जेआरसी / आरसीआरसी कार्ड धारकों के लिए भी नया राशन कार्ड बनवाना अनिवार्य है। ऐसे कार्डधारक नया राशन कार्ड पाने के लिए निर्धारित प्रपत्र में अपनी जानकारी का नवीनीकरण करवाएँ । नया राशन कार्ड बनने तक वर्तमान राशन कार्ड से ही खाद्य सुरक्षा का लाभ पा सकते हैं ।

2. जिन परिवारों के पास कोई राशन कार्ड नहीं है या एपीएल अनस्टैम्पड या एपीएल स्टैम्पड कार्ड है वह भी खाद्य सुरक्षा का लाभ पाने के लिए नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं ।

3. जिन एपीएल स्टैम्पड कार्डधारक परिवारों को राशन मिल रहा है, उन्हें नया राशन कार्ड बनने तक वर्तमान दर और मात्रा में राशन मिलता रहेगा ।

4. नया राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन प्रपत्र के साथ परिवार के हर सदस्य (जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं) के आधार कार्ड / आधार नामांकन (E.I.D.) की कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है ।

5. आवेदन प्रपत्र के साथ किसी भी प्रकार के सत्यापन, शपथ–पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, Power of Attorney (पॉवर ऑफ एटॉरनी), मोहर आदि की आवश्यकता नहीं है ।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सभी आवेदन निःशुल्क लिए जा रहें हैं । आवेदन पत्र लेने, भरने अथवा जमा करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नही है । यदि कोई इसके लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की मांग करता है तो तुरंत इसकी सूचना दें ।

7. आवेदन पत्र भरकर राशन दफतर अथवा जी.आर.सी.में ही जमा कराएं और रसीद अवश्य लें ।

8. किसी प्रकार की पूछताछ अथवा शिकायत के लिए **1967 या 1800110841 पर फोन करें ।**

हस्ता.

आयुक्त

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग

दिनांक 28.9.2013